कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

शुक्रवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(28 फरवरी, 2025 ई0)

खण्ड-528
अंक-07

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

तदुपरान्त श्री अतुल प्रधान ने कहा कि निलम्बन के कारण मेरे प्रश्न नहीं लग पा रहे हैं। उन्होंने इसको बहाल करने का पीठ से अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न एकदम पारदर्शी तरीके से लगते हैं। निलम्बन वापसी के लिये आपकी पार्टी ने बोला ही नहीं।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि आगे से यदि कोई प्रश्न आये तो उसे ले लिया जाये।

आज दिनांक 28 फरवरी, 2025 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

क्र0-सं0	**नाम**	**विषय**
1	श्री मोहन वर्मा	जनपद कुशीनगर के हाटा में निरीक्षण भवन के नव निर्माण में सहायक अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
2	श्री मूल चन्द्र सिंह	जनपद जालौन के कोंच नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत अत्यन्त प्राचीन सीवर लाइन का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री राम सिंह पटेल	जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत धरौली में कतिपय इण्टरलॉकिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
4	श्रीमती सरिता भदौरिया	जनपद इटावा नगर क्षेत्र के समीप से गुजरी यमुना नदी के घाटों के निर्माण के सम्बन्ध में।
5	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां के विकास खण्ड कार्यालय में निष्प्रयोज्य घोषित कर्मचारियों के आवास के निर्माण के लिये धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री राकेश प्रताप सिंह	लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों को लेखा परीक्षा अधीनस्थ नियमावली, 2017 के अनुसार तीनों पदों की पदोन्नति हेतु प्रत्येक स्तर पर सम्बद्धता लगाने के नये नियम को निरस्त करने के सम्बन्ध में।
7	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के झाल गोपालपुर पर पर्यटन केन्द्र विकसित किये जाने विषयक।
8	श्री अनिल सिंह	जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कतिपय स्थानों हेतु परिवहन बस संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।
9	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	वित्त निदेशक के पद पर कार्यरत व्यक्ति के पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में।
10	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री सत्यपाल सिंह राठौर	जनपद एटा के ब्लाक अलीगंज में भगवानापुरा से टिकैतपुरा सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।
12	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में टी0एस0 बन्धे से पुरानी रेलवे लाइन तक रिंग बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
14	श्री राम अवतार सिंह	जनपद बिजनौर की नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पोटी से कन्हेड़ी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
15	श्री मौ0 फहीम इरफान	जनपद सम्भल के तहसील चंदौसी में कोटेदारों द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
16	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद रामपुर में बुड्ढ़ा खेड़ा गुर्जर शुगर मिल से मुजफ्फरनगर सहारनपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
17	श्री किरत सिंह	जनपद सहारनपुर में कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
18	डॉ0 पल्लवी पटेल	जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में कतिपय स्थानों पर हाईटेंशन लाइन शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में गुरसराय नहर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में अमीर नगर चरथावल सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
21	श्री रविदास मेहरोत्रा	जनपद लखनऊ में नगर निगम की मिली-भगत से राजा बाजार में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।
22	डॉ0 रागिनी	जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में समाधगंज बाजार से मालिकपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
23	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत लघु सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में।
24	डॉ0 अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या के बीकापुर में कतिपय नहर पटरियों की मरम्मत के सम्बन्ध में।
25	श्री जगदीश नारायण	जनपद जौनपुर के न्यू कालोनी मुरादगंज में कतिपय मार्ग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 02 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

श्री जाहीद, मा0 सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अपनी औचित्य के प्रश्न पर डॉ0 आर0 के0 वर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मा0 सदस्य श्री जाहीद जी 16वीं और 18वीं विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, नौकरानी की आत्महत्या के प्रकरण में खुद वादी मुकदमा बनकर अपनी पत्नी व पुत्र सहित जेल में निरुद्ध हैं, जबकि मृतका के माता-पिता द्वारा थाने में एक हलफनामा भी दिया गया है कि इस आत्महत्या के प्रकरण से मा0 विधायक जी के परिवार का कोई भी वास्ता नहीं है लेकिन पुलिस द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया गया। ट्रायल कोर्ट में मृतका की माँ द्वारा पुनः इस आशय का हलफनामा दिया गया कि प्रकरण में मा0 विधायक जी के परिवार का कोई लेना-देना नहीं है, उनकी बेटी का गैर समाज के युवक से प्रेम प्रसंग था, उसके द्वारा मानसिक उत्पीड़न करने के कारण अवसाद में आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या की, जिसे संज्ञान में लेकर मा0 कोर्ट द्वारा पुनः विवेचना का आदेश पारित किया गया है, किन्तु इसके अनुपालन में पुलिस द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। नेता विरोधी दल ने भी इस पर बल दिया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि मा0 सदस्य का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विस्तृत विवरण मंगवाने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है। उसमें चार्जशीट लग चुकी है, तो उसके बाद कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया अथवा नहीं लिया, यह अपने आप में परीक्षण का विषय है। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है, सामान्यतः उसे मा0 सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

प्रदेश में बिजली कम्पनियों द्वारा अधिक बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी ने कतिपय दृष्टान्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य प्रदेश में प्रतिबन्धित प्राइवेट विद्युत कम्पनियों को प्रदेश में मीटर लगाने व मीटर रीडिंग चेक करने का अधिकार मिलने के बाद उनके द्वारा बड़े पैमाने पर त्रुटिपूर्ण व फर्जी बिलिंग करके अवैध वसूली की जा रही है। मीटर रीडर द्वारा मीटर का बिना भौतिक निरीक्षण किये मनमाने तरीके से बिल बढ़ाकर बना दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को परेशान होना पड़ता है। विजिलेंस टीम भी फर्जी मुकदमों

का डर बनाकर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रही है, उन्होंने विद्युत विभाग में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार से उपभोक्ताओं को मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया तथा विषय को अत्यन्त लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराने की पीठ से मांग की।

इस पर ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि मा0 सदस्य द्वारा इंगित प्रकरणों में से एक में लिपिकीय त्रुटिवश बिल त्रुटिपूर्ण जारी हो गया, जिसमें सुधार करा लिया गया है। अन्य दो के सम्बन्ध में वर्ष 2024 में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगने मात्र से त्रुटिपूर्ण बिल आने सम्बन्धी मा0 सदस्य की बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यदि किसी कारण से बिल त्रुटिपूर्ण जारी हो जाता है, तो उसे सुधारने व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग कृत संकल्प है। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर लगभग 3400 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया तथा 28 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।

इस पर श्री नफीस अहमद द्वारा विजिलेंस टीम में एक महिला सदस्य के होने और सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का सुझाव देने पर मा0 मंत्री ने कहा कि इस पर विचार कर लिया जाएगा।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर ई0 सचिन सचिन यादव उर्फ जखई ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में हैं। कर्ज लेकर मंहगी शिक्षा प्राप्त युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से निराश हैं तथा अन्धकारमय भविष्य के कारण मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। सरकारी विभागों में पद रिक्त होने के बावजूद सरकार द्वारा नियमित भर्ती न करके संविदा पर काम करवा रही है, जिससे युवाओं का जीवन स्तर सुधर नहीं पा रहा है। रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों को पलायन करने को बाध्य हैं। उन्होंने रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने तथा पेपर लीक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध करते हुए विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की।

इस पर श्री कमाल अख्तर एवं श्रीमती पूजा द्वारा बल दिया गया।

इस पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। वर्तमान में युवाओं को प्रदेश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार प्रयासरत् है। सरकारी विभागों में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है। सरकार मिशन रोजगार के तहत कुशल श्रमिकों के लिए सेवा मित्र पोर्टल चला रही है। रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। मॉडल करियर सेन्टर और शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होकर श्री कमाल अख्तर अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।

श्री श्रीनिवास मौर्य, निवासी-ग्राम-फरसण्डमोहनपुर उर्फ माटीगांव, जनपद-चन्दौली, जो जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड द्वारा श्री सैलम टनल प्रोजेक्ट (ए0एल0बी0सी0) में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे हैं, के लापता होने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

तदुपरान्त संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री ने यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2020-21 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (इ) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 3277/सत्तर-3-2024-04 (25)-2023, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त

महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली, 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 की धारा-27 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

सभापति, महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2024-2025) ने उ0प्र0 विधान मण्डल का 24वां प्रतिवेदन, जो दिनांक 11 अगस्त, 2024 से 13 अगस्त, 2024 तक जनपद-मीरजापुर तथा जनपद सोनभद्र में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग (उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन), गृह विभाग, कारागार विभाग एवं जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण एवं विभागीय समीक्षा पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री राज्यपाल के भोज आमंत्रण पर ससमय उपस्थिति के लिए उचित होगा कि सदस्यगण आय-व्ययक की साधारण चर्चा में अपनी बात 5 से 7 मिनट में पूर्ण कर लें। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्मरण कराये जाने पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि बजट सत्र की समाप्ति तक सभी मा0 सदस्यों के लिए मध्याह्न भोज की व्यवस्था रहेगी।

तदुपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा श्री पंकज सिंह के भाषण से आरम्भ हुई।

श्री शिवपाल सिंह यादव के भाषण के मध्य अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्रीमती अन्जुला सिंह माहौर,

श्रीमती अलका सिंह,

डॉ0 रागिनी,

श्री रमापति शास्त्री,

श्रीमती मारिया अली,

श्री अभय सिंह,

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल),

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम),

श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या,

डॉ0 पल्लवी पटेल,

श्रीमती पूनम संखवार के भाषण के मध्य 03 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री अभिजीत सिंह साँगा,

श्री राम अवतार सिंह,

खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र शर्मा),

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरूण),

श्री मनोज कुमार पाण्डेय,

श्री राम मूर्ति वर्मा,

डॉ0 अमित सिंह चौहान,

श्री वाचस्पति,

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी,

श्री राम अचल राजभर,

श्री राम बिलास चौहान,

श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी,

श्री विनोद चतुर्वेदी,

श्री अमरेश कुमार,

श्री तुफानी सरोज,

श्रीमती अदिति सिंह के भाषण के मध्य 05 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद) के भाषण के उपरान्त चर्चा अगले दिन के लिए जारी हुई।

तदपुरान्त श्री कमाल अख्तर ने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद-25 से 28 में नागरिकों को धर्म की आजादी का अधिकार दिया गया है। जौनपुर व मुरादाबाद के कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर दस मुस्लिम बच्चियों को चेहरे पर हिजाब पहनने की वजह से विद्यालय के प्रशासन द्वारा परीक्षा देने से रोक दिया गया है। सभी जानते हैं कि परीक्षा केन्द्र पर महिला अध्यापिकाएँ भी रहती हैं। पहचान के लिए बच्चियों का मुँह देखना है, तो वह मुँह खोलेंगी ही। प्रदेश में कई जगह पर ऐसी घटनायें सामने आ रही हैं। उन्होंने हिजाब पहनने मात्र के आधार पर समुदाय विशेष की छात्राओं को परीक्षा से वंचित न करने की मांग की।

इस पर श्री अध्यक्ष द्वारा संज्ञान लेकर जानकारी करवाने की बात कहे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने सहमति व्यक्त की।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 25 फरवरी, 2025 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 28 फरवरी, 2025 को नियम-103 के चर्चाधीन प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा करा लिया जाये।

2-दिनांक 03 मार्च, 2025 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाये :-

(1) संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025

(2) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025

3-दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-56 की सूचनाएं न ली जायें।

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाये।

साथ ही श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि यह दिनांक 25 फरवरी, 2025 की बैठक की सिफारिशें थीं, लेकिन इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 28 फरवरी, 2025 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 03 मार्च, 2025 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जाएं।

2-दिनांक 03 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के निम्नलिखित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान :-

क्र0-सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम
1	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
2	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)
3	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)
4	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)
5	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)
6	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)
7	37	नगर विकास विभाग (केवल प्रस्तुतिकरण)
8	09	ऊर्जा विभाग (केवल प्रस्तुतिकरण)

3-दिनांक 04 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के निम्नलिखित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान :-

क्र0-सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम
1	37	नगर विकास विभाग
2	09	ऊर्जा विभाग

4-दिनांक 04 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के शेष समस्त अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

5-दिनांक 04 मार्च, 2025 को उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण करा लिया जाये।

6-दिनांक 04 मार्च, 2025 को नियम-56 की सूचनाएं न ली जायें।

7-दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-56 की सूचनाएं ली जायें।

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाये।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को इंगित करते हुए कहा कि नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा के लिए आगे की कोई तिथि निर्धारित करके चर्चा करा ली जाय :-

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	प्रस्ताव
1	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था की जाये।''
2	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद सन्त कबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराया जाये।''
3	डॉ0 रागिनी	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान की जायें।''
4	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराया जाये।''
5	श्री जवाहर लाल राजपूत	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।''
6	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराया जाय।''
7	डॉ0 पल्लवी पटेल	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू, अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करायी जाये।''

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	प्रस्ताव
8	श्री महेन्द्र नाथ यादव	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर, बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुए सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराया जाय।''
9	श्री जय प्रकाश अंचल	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराया जाय।''
10	डॉ0 रागिनी	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।''
11	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना की तहसील जसराना में काले हिरनों के संरक्षण हेतु संरक्षण केन्द्र की स्थापना करायी जाये।''
12	डॉ0 रागिनी	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव यथाशीघ्र कराए जायं।''

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सहमति व्यक्त की।

आज दिनांक 28 फरवरी, 2025 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 87 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

क्र0-सं0	नाम	विषय

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री राम फेरन पाण्डेय	जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत वि0ख0 इकौना में स्थित सीताद्वार मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री रमापति शास्त्री	जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के झिलाही मार्ग पर कोहोबा बाजार में नाले पर पुल का निर्माण के सम्बन्ध में।
3	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	जनपद महोबा में कबरई नगर में बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
4	श्री राजपाल सिंह बालियान	विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के कल्लरपुर राजवाहे की शाखा लालूखेड़ी-भौराकलां पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	डॉ0 रागिनी	विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर-जौनपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा बीबीपुर के सुशील यादव के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री अनुराग सिंह	जनपद लखनऊ के दयाल पैराडाइज चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगवाये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री अभय सिंह	जनपद अयोध्या के थाना महराजगंज अन्तर्गत ग्राम जलालुद्दीन नगर में कूटरचित तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर क्रय भूमि को निरस्त करते हुये राज्य सरकार के खाते में निहित करने की कार्यवाही के विषय में।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह	जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल के चयन प्रक्रिया में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में।
2	श्री विनोद सरोज	शासनादेश के विपरीत कतिपय कर्मचारियों द्वारा पत्रावली सं0-1748/18-07-2024 को निर्धारित सीमा से अधिक बिना किसी कारण के लम्बित रखने के सम्बन्ध में।
3	श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने विषयक।
4	श्री राजीव गुम्बर	जनपद सहारनपुर के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आवास विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा 100 वर्ग मीटर तक मकानों को नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
5	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चन्दौली में पॉलीटेक्निक कॉलेज में हो रहे वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़-02 के विकास खण्ड नकुड़ के प्रा0वि0 कलरी के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चूहड सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के ब्लाक खजुहा के ग्राम सभा मौहारी में गाटा संख्या-728 (ज) में सरकारी नलकूप के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में श्री लखन सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम साडूपुर में रामदयाल के घर से बनखण्डी आश्रम तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली वि0ख0 चहनिया, तहसील सकलडीहा के अन्तर्गत बाण गंगा ड्रेन में गंगा नदी के किनारे रेगुलेटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया यादव, निवासी ग्राम सरइया, जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के वि0ख0 लखावटी के गांव पौध में प्राइमरी स्कूल से जनौरा वाली काली सड़क तक खड़न्जे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषिपाल भड़ाना व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 विमलेश पासवान, मा0 सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कौड़ीराम में गजपुर बाजार से रामकेवल के भट्ठे तक 1.00 किमी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम चौबे व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, मा0 सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक-नागल में ग्राम खटोली से कुकावी को जोड़ने वाले मार्ग को जोड़ने के लिए काली सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष पुत्र श्री सुनील व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सीताराम वर्मा, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा के अन्तर्गत ग्राम सफीपुर से ग्राम मरछे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री कुलदीप निषाद व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र का बाउण्ड्रीवाल व अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास इत्यादि का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हंसू राम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बलिया के पिपलौली बड़ा गाँव में अनुसूचित बस्ती से टकनपुरा गाँव तक ब्लाक-सीयर, तह0 बेलथरा रोड, जनपद-बलिया के लगभग 03 किमी0 जर्जर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री उमेश अम्बेडकर व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-352, मेंहनगर के अन्तर्गत खरिहानी-बेलनाडीह मुख्य मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड रेवती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामपुर से दिघार बाजार को जोड़ने वाले पुल का नया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छट्टू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर में मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत संगठ कुकुरडाड़ मार्ग पर 5.6 मी0 के ग्रामीण मार्ग पर एक पुल एवं लगभग 1 किमी0 पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सागर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के वि0ख0-सिधौली के ग्राम महासीर से नगला सारंग से बबरा सड़क तक कच्चे मार्ग का

डामरीकरण (02 किमी0) का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय लाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहित सोनकर उर्फ राहुल बच्चा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर देहात, विधान सभा क्षेत्र-209, बिल्हौर की ग्राम पंचायत गिलवट अमीनाबाद के ग्राम हासिमपुर से हनुमान मन्दिर होते हुए गंगा जी तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत ग्राम निर्धना में इरशाद के मकान से सिरस वाली मस्जिद तक 300 मी0 सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नाजिम खान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम बिझूरी में 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के ग्राम छितही नरसिंह, बहलोरवा में सम्पर्क मार्ग से अरबिया मदरसे तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निसार अहमद अंसारी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत डी0डी0 मार्ग चौखडा से महतिनिया बुजुर्ग पी0डब्लू0डी0 के मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काशीराम व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री धर्मराज सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड बंकी के दुनपुरवा रोड से आसिकपुर होते हुए पलिया तक लम्बाई लगभग 2 किमी0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुधाकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा गुरम्हां के गाटा सं0-87 में सामुदायिक मिलन केन्द्र व बारातघर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश सिंह राठौर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बदलेसिमनापुर से होते हुए कीरांव तक नये पक्के डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के ग्राम गोपालनगर में पुल के पास एकरार अहमद पुत्र स्व0 श्री मुख्तार अहमद के खेत के पास श्रीमती यासमीन सिद्दीकी पत्नी श्री परवेज सिद्दीकी के मकान के पास कानपुर-प्रयागराज नेशनल हाई-वे से हाजी फईम सिद्दीकी के खेत तक के रोड को सी0सी0/डामर रोड बनाने के सम्बन्ध में श्री एकरार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के तहसील सहावर के अन्तर्गत रानी अवन्ती बाई नगर की गलियों में सी0सी0 या इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत गड़वारा वार्ड कुआं में गाटा संख्या-46 में राजकीय बालिका इण्टर कालेज स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम वैश्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अताउर रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-118, बहेड़ी, बरेली के नगर पंचायत रिच्छा से ग्राम डण्डहिया नगला आदि सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी विपिन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम मादलापुर से नौजली तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के गांव-झाल में मेन रोड से म्हाडी तक के मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के ग्राम-पेंठगाँव के अस्तल तक कच्चा मार्ग का नव निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कन्नौज व हरदोई जिले के बीच के मेंहदीघाट के क्षतिग्रस्त पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नाजिम खान व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम मरहती में श्री बाकें यादव के घर के बगल से सइयत बाबा के स्थान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालबहादुर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के सीतमसराय व इटाये के मध्य एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिवियापुर के विकास खण्ड भाग्यनगर में बबीना चौकी से भग्गापुर सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 2.00 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में विकास खण्ड जैतपुर के ग्राम जैतपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल सोनी व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के विकास खण्ड परतावल के अन्तर्गत भटहट घोड़हवा मार्ग के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के फरेन्दा शहर में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती मिथलेश पाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना के ग्राम बेलड़ा में बस्ती के घरों के ऊपर से गुजरी विद्युत लाइन को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 ओमपाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच की तहसील मिहीपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहीपुरवा में ग्राम सभा सुजौली में 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा जिवनाथपुर में मेन रोड से डॉ0 परमात्मा के मकान तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर की तहसील सिंधौली में स्थित कमलापुर चीनी मिल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा में आवास विकास कालोनी व बल्केश्वर मंदिर के निकट स्थित दोनों श्मशान घाटों को जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर के अन्तर्गत सिरिया नाला लालाजोत मौजा विशुनपुर खैरह निया से जद्दापुर होते हुये हड़पुर जनकपुर तक सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर की तहसील मीरजापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दाढ़ीराम में इण्टरमीडिएट कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पटेहरा के अन्तर्गत ग्राम गुलालपुर के आस-पास राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के

सम्बन्ध में श्री राजकुमार दुबे व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद एटा की तहसील अलीगंज के ब्लॉक जैथरा के ग्राम लगुटिया से दतौली तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील व ब्लाक हसनगंज में कतिपय सड़कों व पुलिया निर्माण जिला पंचायत से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत तहसील एवं विकास खण्ड महराजगंज में हैदरगढ़ महराजगंज मार्ग कुबना मोड़ से मोन तक पक्का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श भारती निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ग्राम इटौरा चौबेपुर में चन्द्रदेव सिंह के खेत से कबुलहा होते हुए आजाद जुनियर हाई स्कूल तक (ल0 01 किमी0) सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा साहनपुर में राजकीय बालिका कन्या इण्टर कालेज से समीपुर-चिड़ियापुर नहर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शकील एडवोकेट व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के अन्तर्गत ग्राम चंद्ररखा बुजुर्ग व ग्राम सिसवारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के अन्तर्गत वरूणा नदी पर कोटवा-टड़िया मार्ग व जफराबाद रोहनियां-अष्टभुजा मार्ग

पर समपार सं0-7 पर सेतु निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के ग्राम बगवाड़ा से श्यामाबाद तक (ल0 2.00 किमी0) पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड कर्वी में ग्राम पंचायत रेहुटा में राजपाल यादव के घर से नहर के मेन पुल तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के वार्ड संख्या-15 पुलवरिया लिंक मार्ग मोहनलालगंज में सुजीत (भोला) के प्लाट तक रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के देवघाट पुल से होते हुए कटकावली तक मार्ग का नव निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजमणि कोल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार कोल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर ब्लाक सिद्धौर में ग्राम टिकारिया गोंद चाँद क्षतिग्रस्त मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अर्चना यादव व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमापति शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड वजीरगंज गोण्डा-अयोध्या मार्ग से वजीरगंज से झिलाही सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के बजरंग नगर के न्यू सिटी में शंकर जी के मन्दिर के पास भजन के मकान से सियाराम वर्मा के मकान तक आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भजन व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के ग्राम परछछ से खैरी के मध्य चन्द्रावल नदी में रपटा का निर्माण के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र-141, धौरहरा विकास खण्ड ईसानगर में टाडापुरवा सम्पर्क मार्ग 800 मी0 का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में प्रधानमंत्री सड़क (दरवांसी) से राजकीय हाई स्कूल चंदापुर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड सुइथाकला ग्राम पंचायत शमशुद्दीनपुर गांव में शारदा सहायक खण्ड-36 (डबल नहर) पर पुल/कदम पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दिनेश रावत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाराबंकी के ग्राम पंचायत बल्ला में पैकौली चौराहे से भागू के पुरवा तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत बिसवां सिधौली मार्ग से रूकनापुर मण्डी मार्ग तक पेन्टेड सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकिशोर व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मथुरा के बल्देव क्षेत्र में आलू से निर्मित चिप्स फैक्ट्री अथवा बियर फैक्ट्री लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मल्ल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बावन सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के ब्लाक रूपईडीह के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोचवाँ के ग्राम जयरामपुरवा प्रा0 स्कूल के पीछे से लक्ष्मणपुरवा होते हुए भैरमपुर सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री ललित कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच मुख्यालय पर पत्रकार बन्धुओं के बैठने हेतु कार्यालय (आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं) के साथ निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवांकर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री धीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद के एन0एच0-34 से ग्राम सांवली का मुख्य क्षतिग्रस्त मार्ग पर सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सरोज प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल विकास खण्ड सोहावल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुन्दुर्खा खुर्द के ड्योढ़ी बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सन्दर्भ में श्री शिव प्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के अन्तर्गत लखनऊ-हरदोई के बीच निर्माणाधीन एन0एच0-731, जो कि पी0एन0सी0 इंफ्राटेक लिमिटेड आगरा द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवीन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बांदा के कस्बा बबेरू में बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती गुड़िया देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के अन्तर्गत फफूँद-औरैया मुख्य मार्ग के अधूरा भाग का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा घूघा, कोहरान बस्ती से तुलापुर वाया घूघा बारी अमिलिया कलां तक

सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेष मणि पटेल निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मैथा में गहलो शिवराजपुर मार्ग काशीपुर से बलवापुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेमन्त सिंह हेमू व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा के विकास खण्ड हसनपुर के ग्राम अगरौला कला सौहरका होते हुये दयावली खालस मार्ग अन्य जिला मार्ग में इण्टरलॉकिंग/टाइल्स का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू राणा व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड खुटहन के अन्तर्गत ग्राम सभा नौली में मेवालाल राजभर के आवास से केदारनाथ के आवास तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनय प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर के ओ-सेक्टर केशवपुरम, कल्याणपुर कानपुर में ट्रांसफार्मर वाले पार्क का सौन्दर्यीकरण व पार्क में ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या की तहसील रूदौली में नौगवा डीह पम्प कैनाल व नरोजपुर बघेड़ी पम्प कैनाल के सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के ग्राम गढमलपुर सागड़ी में भूदेव की ट्यूबवेल से गांव रायपुर गढ़मलपुर सागड़ी लिंक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत खखरेरू में अग्निशमन केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ठाकुर शुभम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव की तहसील बाँगरमऊ के ग्राम हिन्दूपुर में काली मिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर गंगा जी की स्पिल पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के अन्तर्गत ग्राम गद्दीपुरवा के बीच बूढ़ी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनी राम व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम कठेरवा से भलेवां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणधीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला में एक राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, विधान सभा को इंगित करते हुये कहा कि उपस्थापित याचिकाएं विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियम के अन्तर्गत उपस्थापित की जाती हैं, जिन्हें याचिका समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जाता है। मा0 सदस्यों में बढ़ी जागरूकता के कारण याचिकायें बहुत अधिक संख्या में प्रस्तुत की जा रही हैं तथा पब्लिक इंटरेस्ट की मेंटेनेबल होने के कारण स्वीकार की जाती हैं। उन्होंने विधान सभा सचिवालय को निर्देशित किया कि याचिका समिति से याचिकाएं सम्बन्धित विभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जायें कि सम्बन्धित विभाग उन याचिकाओं पर बिना समिति में लगाये हुये भी कार्यवाही करेंगे। अब याचिका समिति सिर्फ मानीटर करेगी।

विधान सभा क्षेत्र कांठ, जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत नगर पंचायत उमरी कला में 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल अख्तर द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

प्रदेश के वन विभाग में नियत वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदधारकों के सापेक्ष वेतन निर्धारित कराकर न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राजेश्वर सिंह द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

नगर पालिका परिषद् सिसवा बाजार, महाराजगंज में कराये गये भ्रष्टाचार की जांच सी0ए0जी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र कालपी से मदरालालपुर होते हुए सूर्य मंदिर तक सड़क निर्माण किये जाने हेतु प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सिकन्दरपुर नरियांव मार्ग का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 संग्राम यादव द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार, जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माहे पासी किले को पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित कर सौन्दर्यीकरण/विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर तहसील बीकापुर, जनपद अयोध्या के वर्तमान ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज एक्ट की धारा-95क (1) छः के अन्तर्गत कार्यवाही कराकर प्रधान पद से हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना

पर नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम सभा तिलौरा में एक आँगनबाड़ी केन्द्र का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार एवं आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 राजेश्वर सिंह द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र जहाँनाबाद के अन्तर्गत नगर पंचायत कोड़ा जहाँनाबाद में बस-स्टेशन को पीपी मॉडल में विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह पटेल द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र-04, सहारनपुर के कतिपय ग्राम में काली नदी व ढमोला नदी के प्रदूषण से हो रहे गम्भीर रोगों के निदान के सम्बन्ध में श्री आशू मलिक द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र बलदेव, जनपद मथुरा के अन्तर्गत नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे से बल्देव जनपद मथुरा के लिए एक कट बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमरोहा के नगर पालिका परिषद् गजरौला में फर्जी टेन्डर निकाल कर पूर्व से ही निर्मित इण्टरलॉकिंग सड़क बनवाये जाने की उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध

कठोरतम कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण के कार्य में पर्याप्त स्थायी पुलिस बल/स्थायी पी0ए0सी0 बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सरोज कुरील द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद सन्तकबीरनगर की विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल से कतिपय स्थानों के लिये बस संचालन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना अन्तर्गत कस्बा सरधना में फायर स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल प्रधान द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद चन्दौली के ग्राम पंचायत खगवल, विकास खण्ड सकलडीहा में कार्यदायी संस्था द्वारा मनरेगा में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

कानपुर विकास प्राधिकरण की सरकारी सम्पत्ति पर किये गये करोड़ों रुपये घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेयी द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने अवगत कराया कि अन्य विभाग में सूचना प्रेषित किये जाने के कारण वक्तव्य त्रुटिपूर्ण आ गया है। इस पर श्री अध्यक्ष ने सूचना पुनः भेजकर सही जवाब मंगवाने हेतु निर्देशित किया।

विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम बहमनसोरा से मीरापुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी ओउमवेश द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत की गयी भूमि के एवज में भू-खण्ड दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत औद्योगिक विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम रहड़वा में प्राइमरी स्कूल की विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मिथिलेश पाल द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र स्थित जोन-2 के अन्तर्गत वार्ड-73, जाजमऊ में सीवर लाइन समस्या के सम्बन्ध में श्री मो0 हसन 'रूमी' द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत जी0आई0सी0 भटासा में हो रहे अमानक निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 सुरभी द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र भिनगा जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत वि0ख0 सिरसिया के शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती इन्द्राणी वर्मा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

राज्य भण्डारण पी0ई0जी0 सुखबीर एग्रो भवानीपुर प्रथम विंध्याचल डिपो के कतिपय कार्यों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सिंह द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को दी गई

सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन सायं 06 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025 के दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 292 विधान सभा (471)-03-03-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।